राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	77/1998 अमरचन्द बनाम नाथू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20/05/2026 को पेश हो।	
20/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक्र एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम झाग तह. दुदू में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1534 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, 1541 रकबा 11 बीघा 18 विस्वा, 1543 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, 1544 रकबा 4 बीघा 10बिस्वा, 1537/1657 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 32 बीघा जिनकी खतौनी सेटेलमेन्ट में सूयुक्त खातेदारी मोती पुत्र हरला कौम जाट तथा रामचन्द्र पुत्र भोमा जाट हिस्सा बराबर दर्ज थी और इसी प्रकार अपने-अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त थे और लगान अदा करते आ रहे थे। मोती की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण 1/2 हिस्से का उसकी पुत्री प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम हो गया तथा रामचन्द्र की मृत्य के पश्चात् 1/2 हिस्से का विरासत का नामान्त करण वादी संख्या 1 नाथू और वादी संख्या 02 के पति तथा वादी स. 3 के पिता श्रवण के नाम के नाम खोला गया श्रवण की मृत्यु के पश्चात वादीगण का 1/2 हिस्ता हे और प्रतिवादीगण सं. 1 का 1/2 हिस्सा है और इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आ रहे है। ग्राम झाग के जमाबन्दी स. 2026 के खाता नं. 217 में उपरोक्त भूमि का 1/2 हिस्से का वादी श्रवण पुत्रान रामवन्द्र तथा 1/2 हिस्से की मु. केसर पुत्री मोती खातेदार दर्ज थी। वादी सं. 1 नाथू तथा उसके भाई मृतक श्रवण ने तहसीलदार दुदू के यहा उपरोक्त भूमि के बाहमी तकासमा हेतु कभी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया लेकिन तहसीलदार दुदू ने अपने तथा कथित आदेश बाबत बाहमी तकासमा दिनांक 29-9-77 के अनुसार उपरोक्त भूमि का वादी नाथू एवं मृतक श्रवण तथा मु. केसर के तकासमे का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, जिसके अनुसार वादीगण के 11 बीघा तथा प्रतिवादीनी संख्या 1 मु. केसर के 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि आई। वादीगण को दिनांक 29/09/76 के तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बाहमी तकासमें का 29.9.77 कोई ज्ञान नही था और वे अपने आधे हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले जा रहे है लेकिन दिनांक 29-9-89 को वादीगण से प्रतिवादीगण ने झगडा किया और प्रतिवादीनी संख्या 1 ने वादीगण को बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

का काफी समय पूर्व ही तकासमा हो चुका है तथा उनके हिस्से में की भूमि तकासमा में आई है। वादीगण ने पटवारी हल्का के पास जानकारी चाही तो उसने भी यही बताया कि प्रतिवादीनी सं. 1 में अन्य प्रतिवादीगण अपने पुत्र एवं संबंधियों का एकनाजायज गिरोह बना रखा है और उनकी नियत में फितूर है वे वादीगण की उपरोक्त भूमि को जबरन हडप करने के प्रयत्न में है। अगर उक्त भूमि पर वादीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा प्रतिवादींगण कर लेंगे तो वादीगण को असहनीय हानि होगी | इसलिए वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद डिक्री फरमाया जाकर इस्तकरार हक़ इस आशय का घोषित किया जावे कि वादीगण एवं प्रतिवादीणी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाया से पाबन्द फरमाया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब वाद प्रस्तुत किया | तत्पश्चात दिनांक 05/03/1997 को प्रतिवादीगण व उनके अभिभाषक के उपस्थित नही आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये निर्णय दिनांक 31/03/1998 पारित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री फरमा दिया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06/04/2026 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर आगामी पेशी दिनांक 13/05/2026 पारित की गयी | तत्पश्चात इस न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा मूल खातेदार केसर पुत्री मोती पत्नी मौहरू से साबिक खसरा नम्बर 1543/1 व 1544/1 की 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/01/1990 क्रय किया जा चुका था, ऐसेमें साबिक खसरा नम्बर 1543/1 व 1544/1 के सन्दर्भ में अपीलार्थी हक़अधिकारी व खातेदार हो गये थे किन्तु अपीलार्थीगण को पक्षकार प्रकरण बनाये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत नही होते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अमरचन्द बनाम नाथू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/1998		

है एवं अपीलार्थी के हक़अधिकार की भूमि 8 बीघा 8 बिस्वा तक पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य जाहिर होता है | दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1543/1 व 1544/1 के नये खसरा नम्बर वर्तमान में 1806 व 1809 कायम होने का कथन कर इस सन्दर्भ में राजस्व रिकार्ड की प्रतिये पेश की गयी है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को साबिक खसरा नम्बर 1543/1 व 1544/1 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1806 व 1809 हैक्टेयर के 8 बीघा 8 बिस्वा रकबे तक निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 1543/1 व 1544/1(वर्तमान खसरा नम्बर 1806 व 1809) के 8 बीघा 8 बिस्वा रकबे तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31/03/1998 को निरस्त किया जाता है एवं फलस्वरूप राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तदनुसार अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 20/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर